डॉ. जगदीश प्रसाद और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 1542)

दिसंबर 03, 2018

[न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 482 – कार्यवाही को रद्द करना- अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 498 ए, 323 आईपीसी और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दायर शिकायत- उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए आवेदन- अपील पर, कहा गया: उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित कई फैसलों में निर्धारित कानून के सिद्धांतों को उद्धृत किया, लेकिन इसका उल्लेख नहीं किया। मामले के विवाद की सराहना करने के लिए मामले के तथ्य- मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेजा गया – दंड संहिता, 1860 – धारा 498 ए, 323 – दहेज निषेध अधिनियम, 1961- धारा 3 और 4।

अपील को स्वीकार करते हुए और मामले को उच्च न्यायालय को सौंपने के लिए, अदालत ने कहा:

एकल न्यायाधीश को पहले तथ्यात्मक मैट्रिक्स को समझने की दृष्टि से मामले के संक्षिप्त तथ्यों को निर्धारित करना चाहिए था और फिर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों के प्रकाश में कार्यवाही को दी गई चुनौती की जांच करनी चाहिए थी ताकि अपीलकर्ता द्वारा आग्रह किए गए आधारों पर निष्कर्षों को रिकॉर्ड किया जा सके कि इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता है या नहीं। यह कवायद उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय नहीं की गई थी। [पैरा 10 और 11] [461-बी-सी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की आपराधिक अपील संख्या 1542।

2017 की धारा 482- संख्या 35595 के तहत आवेदन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 13.09.2018 के अंतिम आदेश से।

राकेश तनेजा, एन. राजारमन, अपीलकर्ताओं के वकील।

चंद्रशेखर, प्रशांत शिखर, सुश्री मीना हसन, एसके वर्मा, प्रतिवादियों के वकील।

अदालत का फैसला न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने सुनाया।

1. अपील की अनुमति दी गई।

2. यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2018 को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 (इसके बाद "कोड" के रूप में संदर्भित) के तहत एक आवेदन में पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें 2017 की संख्या 35595 है, जिसमें एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया था।

3. इस अपील में शामिल छोटे विवाद की सराहना करने के लिए नीचे कुछ तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

4. आक्षेपित आदेश द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने संहिता की धारा 482 के तहत दायर अपीलकर्ताओं के आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें 21/09/2017 के आदेश के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और 323 के तहत 2017 के शिकायत केस नंबर 2540 (ममता बनाम जगदीश प्रसाद और अन्य) में पूरी कार्यवाही को रद्द करने की चुनौती दी गई थी। 1860 (इसके बाद "आईपीसी" के रूप में संदर्भित) और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 पुलिस स्टेशन महिला थाना, जिला हाथरस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाथरस, उत्तर प्रदेश की अदालत में लंबित है।

5. संक्षिप्त प्रश्न, जो इस अपील में विचार के लिए उठता है, यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने संहिता की धारा 482 के तहत दायर अपीलकर्ताओं के आवेदनों को खारिज कर दिया था।

6. अपीलकर्ताओं के वकील श्री राकेश तनेजा और प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री चंद्र शेखर को सुना।

7. पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद हम लागू आदेश को रद्द करने और अपीलकर्ताओं के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के इच्छुक हैं, जिसमें से यह अपील उत्पन्न होती है, कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर।

8. आक्षेपित आदेश के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि एकल न्यायाधीश ने पैरा 2 से समापन पैरा तक संहिता की धारा 482 के तहत दायर मामलों में हस्तक्षेप के मुद्दे पर उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित कई निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों को उद्धृत किया है, लेकिन मामले के विवाद की सराहना करने के लिए मामले के तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है।

9. इसलिए, हम कई फैसलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांतों को छोड़कर आक्षेपित निर्णय को पढ़ने के बाद मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को जानने में असमर्थ हैं।

10. हमारे विचार में, एकल न्यायाधीश को पहले तथ्यात्मक मैट्रिक्स को समझने की दृष्टि से मामले के संक्षिप्त तथ्यों को निर्धारित करना चाहिए था और फिर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों के प्रकाश में कार्यवाही को दी गई चुनौती की जांच करनी चाहिए थी ताकि अपीलकर्ताओं द्वारा आग्रह किए गए आधारों पर निष्कर्षों को रिकॉर्ड किया जा सके कि इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता है या नहीं।

11. हम पाते हैं कि उपरोक्त कार्य उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय नहीं किया गया था।

12. इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन के इस तरह के निपटान से सहमत होने में असमर्थ हैं और आक्षेपित आदेश को रद्द करने और उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार योग्यता के आधार पर आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने के अनुरोध के साथ मामले को उच्च न्यायालय (एकल न्यायाधीश) को सौंपने के इच्छुक महसूस करते हैं।

13. ऊपर उल्लिखित हमारे तर्क के आलोक में मामले को रिमांड करने के लिए एक राय बनाने के बाद, हम मामले के गुण-दोष में जाना उचित नहीं समझते हैं।

14. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील सफल होती है और तदनुसार अनुमति दी जाती है। आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है। इस आदेश में हमारी किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए मामले को उच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है।

मामला उच्च न्यायालय में भेजा गया।

इला देओल, एडवोकेट